तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **संतोष टाक बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार भोपालगढ)** सू.अ.अ. अपील संख्या 201/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-07-2022	अपीलार्थी संतोष टाक, निवासी ग्राम नागलवास, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.01.2022 में (1) ग्राम पंचायत,नागलवास, पालड़ी राणावता तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर की सरकारी भूमि (किस्म आगोर, गोचर मगरा तालाब) आदि के सन्दर्भ में खसरा सं0, खाता सं0, क्षेत्रफल, नक्शा व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 226 दिनांक 18.07.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा आर टी आई के तहत ऑनलाईन आवेदन दिनांक 23.01.2022 को किया गया जिस पर इस कार्यालय के पत्र कमांक/रीडर/2022/198 दिनांक 01.07.22 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया गया कि बिन्दु सं0–1 से संबंधित सूचना (सरकारी भूमि के खसरा नम्बर, खाता नम्बर, क्षेत्रफल, नक्शा) विभाग के पोर्टल ' **अपना खाता** ' पर उपलब्ध है जहां से आप प्राप्त कर सकते है तथा बिन्दु सं0 2 व 3 संबंधी सूचनाओं में विशिष्टियों का स्पष्ट अंकन नहीं होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। तहसीलदार भोपालगढ की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के आवेदन पत्र पर 6 माह तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि विधिक प्रावधानों के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण एक माह के भीतर करना आवश्यक है तथा सूचना यदि किसी अन्य कार्यालय से संबंधित होने पर धारा 6(3) के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित करने का प्रावधान है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार भोपालगढ द्वारा समय पर कोई कार्यवाही नहीं की जो विधिक प्रावधानों का आत्मसात् न करने का फल है अतः तहसीलदार भोपालगढ को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में प्रार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	